# प्रधानमंत्री

डॉ.कुमार राकेश रंजन
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान विभाग
लक्ष्मी नारायण दुबे महाविद्यालय, मोतिहारी

संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी के सुझाव को मानते हुए ब्रिटेन की भांति हमारे देश में भी संसदीय शासन प्रणाली आत्मसात की गई। यहां की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान हैं तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं।

भारत में प्रधानमंत्री पद को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह मंत्रिपरिषद की केंद्र बिंदु तथा आधारशिला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसी सहायता व सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री देश का भाग्य विधाता होता है। डॉ.अंबेडकर के शब्दों में- "वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है।"

## प्रधानमंत्री की नियुक्ति-

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता चुना जाता है। जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, जैसा कि पीवी नरसिम्हा राव को बहुमत प्राप्त न होते हुए भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। संविधान के अनुसार संसद का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तथा उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे नियुक्ति के 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना पड़ता है।

## योग्यताएं-

भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए संविधान में किसी प्रकार की योग्यता वर्णित नहीं की गई है। बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री हो सकता है। उन्हें न्यूनतम लोकसभा सदस्य होने की योग्यता धारित होनी चाहिए।

कार्यकाल-

संविधान में प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। यह राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर है। व्यवहार में कोई भी प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक अपना पद ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पद मुक्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार प्रधानमंत्री हो सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी बाजपेयी, डॉ.मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने।

शपथ-ग्रहण

राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वह ईश्वर की शपथ खाकर कहता है कि यदि देश हित से संबंधित कोई भी जानकारी उसके पास लाई जाएगी या उसको ज्ञात होगी तो वह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा करेगा जिनके साथ वह जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत है।

कार्य एवं अधिकार-

संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी नाव का मल्लाह भी कहा जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री को भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति निम्नलिखित व्यापक अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है-

I.मंत्रिपरिषद का निर्माण:- प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। नियुक्त होने वाले मंत्रियों की अंतिम सूची प्रधानमंत्री द्वारा ही राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। मंत्रियों के नामों का चयन प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति एक औपचारिकता मात्र है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, अनुभव, युवाओं एवं महिलाओं को ध्यान में रखते हैं।

II.विभागों का बंटवारा:- प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभिन्न विभागों का बंटवारा करते हैं। यदा-कदा आवश्यकतानुसार उनके बीच विभागों का फेरबदल भी किया जाता है। किसी मंत्री के कार्य एवं व्यवहार से नाखुश रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकते हैं।

III.मंत्रिपरिषद की बैठक:- प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत करता है तथा वह इसकी अध्यक्षता भी करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक में कार्यसूची को तय करता है। वह प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत भी कर सकता है।

IV.विभागों पर नियंत्रण:- प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के नाते वह विभिन्न

विभागों पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। किसी भी विभाग में कोई कमी होने पर आवश्यकतानुसार उसे दूर भी करता है।
V.विभागों के मध्य समन्वय:-प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विभिन्न विभागों में विवाद होने पर उसका निराकरण भी करता है। वह विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कायम कर नेतृत्व करते हुए सरकार को सुचारू रूप से संचालित करता है।
VI.मंत्रियों की पदच्यूति:- कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की कृपा पर ही अपना पद धारण करता है। यदि कोई मंत्री  प्रधानमंत्री के कहने पर भी त्यागपत्र नहीं देता है तो उसकी बर्खास्तगी हेतु राष्ट्रपति को अनुशंसा कर दी जाती है। प्रधानमंत्री स्वयं भी त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को हटा कर सकता है। उपरोक्त कारणों से प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी कहा जाता है।
VII.नियुक्ति संबंधी परामर्श:- राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की नियुक्तियों में प्रधानमंत्री का परामर्श ही अंतिम होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की उपाधियों में भी उन्हें परामर्श प्रदान करता है।
VIII.राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी:- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों के विचारों से अवगत कराता है तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने मंत्रियों को प्रेषित करता है।
IX.संसद एवं मंत्रिपरिषद् के बीच कड़ी:- प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों एवं संसद के बीच एक कड़ी का काम करता है। यदि संसद में किसी मंत्री पर प्रश्नों द्वारा घोर प्रहार होता है तो वह उनकी रक्षा के लिए ससमय आगे आ जाता है।
X.नीति निर्धारण:-प्रधानमंत्री का सर्वप्रमुख दायित्व राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना है। वह आंतरिक तथा विदेशी क्षेत्रों में नीतियों के निर्धारण का अंतिम निर्णय करता है।
XI.लोकसभा का नेता:- प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह लोकसभा में सरकार की ओर से भाषण देता है। वह सरकार के उद्देश्य से सदन एवं देश को अवगत कराता रहता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कि लोकसभा को भंग कर नया आम चुनाव कराया जाय।
XII.दल का नेता:-प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ या गठबंधन दल का वास्तविक नेता होता है। दलीय नेता होने के कारण वह अपने दल के मंत्रियों को अनुशासन में रखता है। यदि कोई मंत्री दल विरोधी कार्य करता है तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र मांग सकता है। गठबंधन सरकार में उनका कार्य सभी घटकों के बीच तालमेल बनाए रखना है। वह अपने दलीय हितों एवं सिद्धांतों के अनुसार ही सरकार का संचालन करते हुए नीतियों का निर्धारण करता है। XIII.देश का नेता:-प्रधानमंत्री देश का एक कुशल शासक होता है। व्यवहारिक रूप से देश की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था उसी की इच्छा अनुसार संचालित होती है।
XIV.अंतर्राष्ट्रीय दायित्व:-वह विभिन्न देशों में भारत की राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय हित

को अक्षुण्ण रखने हेतु अपेक्षित कदम उठाता है। वह विदेशों से आए हुए राजकीय अतिथियों का देश की तरफ से स्वागत भी करता है। वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी सरकार व अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है।

वास्तविक स्थिति:-

प्रधानमंत्री की उपरोक्त शक्तियों से आभास होती है कि संविधान द्वारा उन्हें वास्तविक शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त सभी अधिकारों के पीछे प्रधानमंत्री ही होते हैं। वह मंत्रि परिषद् का जन्मदाता, पालनकर्ता तथा संरक्षक है। त्रिशंकु लोकसभा और गठबंधन सरकार के युग में प्रधानमंत्री की स्थिति और भूमिका में ह्रास हुआ है, फिर भी प्रधानमंत्री भारतीय शासन व्यवस्था की धूरी बना हुआ है। अतः संसदीय शासन प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनी रहे। पूर्ण बहुमत प्राप्त एक दल रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री गठबंधन सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली भूमिका में आ जाते हैं।अपने राजनीतिक दल में निर्विवाद नेता होने पर उसकी स्थिति पर्याप्त शक्तिशाली हो जाती है। एक दलीय सरकार का प्रधानमंत्री ही शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य कर पाता है। प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा कि उस पद का अधिकारी उसको बनाना चाहता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अनुसार गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती है जिसे मानना ही पड़ता है। यदि उसके दल या गठबंधन में ही उसके नेतृत्व को चुनौती दी जाती है तो उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर स्थिति होने पर प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है। सामान्यतः केंद्र में एक दलीय सरकार होने पर प्रधानमंत्री को शक्तिशाली स्थिति प्राप्त होती है लेकिन गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होती है।

उप प्रधानमंत्री

भारत में उप प्रधानमंत्री का पद तकनीकी रूप से संविधानिक नहीं है। अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी वरिष्ठ मंत्री को उप प्रधान मंत्री मनोनीत किया है। व्यवहारिक रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता रहा है। मूल रूप से यह पद राजनीतिक अधिक है। किसी कारणवश प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री के दायित्वों को ग्रहण करता है। गठबंधन सरकार की स्थिति में मजबूती लाने के लिए उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया जाता है। सरदार वल्लभभाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंतराव चौहान, चौधरी

देवी लाल व लालकृष्ण आडवाणी उपप्रधानमंत्री रहे हैं।